न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री भंवरलाल, जाति-मेघवाल, निवासी-वाटेरा, तहसील-पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 234/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 03 जनवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत निःशुल्क पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को जारी पट्टा विलेख संख्या 14619 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड्वाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 03.12.2021 को प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं अप्रार्थी संख्या-1 [illegible] भी कोई उपस्थित नही हुआ। दिनांक 03.12.2021 को अप्रार्थी संख्या-2 [illegible] की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता [illegible] किया कि ग्राम पंचायत,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:04:36 IST
Reason: SelfAttested

....पेज

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जो विक्रय विलेख जारी कर निष्पादित किया है वह पूर्ण रुप से सही व नियमों के अनुरुप जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना आवासीय कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखती थी। मौके पर प्रश्नगत पट्टे की भूमि का अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा आवासीय उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पुराने आवासीय उपयोग की भूमि का महिला मुखिया के नाम से नि:शुल्क पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई अनियमितता या त्रृटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी नही ठहराया जा सकता है, क्योकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कोई नियंत्रण नही था। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने निगरानी में अंकित कथनों के समर्थन में निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है, जिसके कारण प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारुप में नही होकर विभागीय पत्र के रुप में प्रस्तुत किया है। अत: प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या- 6 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत नि:शुल्क पट्टा जारी करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या 14619 दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के नि:शुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति एवं [illegible] विकास अधिकारी, ग्राम

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:04:36 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत, वाटेरा को उनके पत्र क्रमांक/2019-20/1150 दिनांक 2.10.2019 के क्रम में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.10.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत जिस भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया है, .वह भूमि मौके एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 439 रकबा 1.05 बीघा किस्म बा.IV राजकीय बिलानाम भूमि है। ग्राम पंचायत को राजकीय बिलानाम भूमि के पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या-2 को राजकीय बिलानाम भूमि का विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 6 एवं इस प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 14619 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:04:36 IST
Reason: SelfAttested